उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-32/2017/638/37-1-2017-3(40)/2011टी0सी0

लखनऊ: दिनॉक: 01 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 यशपाल सिंह नायक, तत्कालीन उप निदेशक, झांसी मण्डल झांसी, सम्प्रति संयुक्त निदेशक (गायनो0), पशुपालन विभाग मेरठ को बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत, क्रय किये जाने वाली बकरियों की क्रय समिति के अध्यक्ष के रूप में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या-1202/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा निलम्बित करते हुये कार्यालय आदेश संख्या-1201/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 22.04.2013 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। कार्यालय आदेश संख्या-4246/37-1-2013-3(40)/2011टी0सी0-1, दिनांक 13.02.2015 द्वारा डा0 नायक को परिनिन्दा एवं तीन वेतन वृद्धियां संचयी रूप से रोके जाने का दण्ड देते हुये सेवा में बहाल किया गया। इस संबंध में डा0 यशपाल सिंह नायक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-24862/एस0बी0/2015, डा0 यशपाल सिंह नायक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2015 द्वारा डा0 नायक को दिये गये दण्डादेश को अपास्त करते हुये उनके विरूद्व पूर्व में कार्यालय आदेश दिनांक 22.04.2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में डा0 नायक द्वारा आरोप पत्र का उत्तर देने के बाद की स्थिति से जॉच की प्रक्रिया पूरी किये जाने के आदेश पारित किये गये। मा0 न्यायालय के आदेशानुपालन में जांच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 02.03.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में सिद्व पाये गये आरोपों के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 29.06.2016 द्वारा डा0 नायक का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 28.07.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। जॉच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या, डा0 नायक के अभ्यावेदन तथा अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या-183/37-1-2017-3(40)/2011टी0सी0, दिनांक 08.03.2017 द्वारा उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही आरोप सिद्व न पाये जाने पर बिना दण्ड के समाप्त की गयी।

अतएवं श्री राज्यपाल डा0 यशपाल नायक, तत्कालीन उपनिदेशक, झांसी मण्डल झांसी सम्प्रति संयुक्त निदेशक (गायनो0), पशुपालन विभाग मेरठ की निलम्बन अवधि में उन्हें पूर्ण वेतन/भत्ते दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2017/638(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2) संयुक्त निदेशक, प्रशासन, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3) वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4) अपर निदेशक, ग्रेड-2 मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5) डा0 यशपाल सिंह नायक, तत्कालीन उप निदेशक, झांसी मण्डल झांसी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग उ0प्र0।
6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in